Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 69/2023

Randhir Kumar & Ors ..... Appellants.

Versus

The State of Bihar through District Magistrate, Purnea ..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	11.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–241/स्था0 दिनांक–02.03.2023 के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 के नियम–4(3)(VI) के आलोक में दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी सं0–01 वर्ष 2011 से आई0टी0 सहायक के रूप में जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में विभिन्न कार्यों में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए पत्रांक–700 दिनांक–30.06.2022 द्वारा प्रखंड कार्यालय, पूर्णिया पूर्व में पदस्थापित किया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक–08.07.2022 को उक्त कार्यालय में उन्होंने अपना योगदान समर्पित किया। इनके द्वारा अपने आवंटित कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया जा रहा था। इसी प्रकार शेष अपीलार्थी कार्यपालक सहायक के रूप में जिलान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में अपनी सेवा प्रदान करते हुए जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश के आलोक में सम्प्रति अंचल कार्यालय, पूर्णिया पूर्व में पदस्थापित रहते हुए प्राधिकार द्वारा इनके पक्षों में आवंटित कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया जा रहा था। अपीलार्थी नं0–01 को सेवा का अधिकार अधिनियम, प्रखंड अंतर्गत क्षेत्रीय सूचना तकनीकी एवं लोक शिकायत का पर्यवेक्षण आदि कार्य आवंटित थे। इसी प्रकार अन्य अपीलार्थियों के बीच मेल प्रेषण/आय/जाति/आवासीय/नन क्लीमेयर/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग आदि प्रमाण पत्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर /मेल निकालना/मेल भेजना/ऑनलाईन आवेदनों का सत्यापन/किसान सम्मान निधि योजना आदि कार्यों का दायित्व सौंपा गया था। सभी अपीलार्थियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का ससमय निष्ठापूर्वक निष्पादन किया जा रहा था। दिनांक–16.01.2023 को जिला पदाधिकारी, पूर्णिया ने अपने कुछ अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अंचल कार्यालय, पूर्णिया पूर्व का निरीक्षण किया। स्थापना उप समाहर्त्ता के ज्ञापांक–82/स्था0 दिनांक–18.01.2023 द्वारा विभिन्न अनियमितताये यथा–लोक सेवा अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लंबित रखना,	

WebCopy Not Official.

		जाति, आय, आवासीय, एल0पी0सी0, नामांतरण आदि का उल्लेख करते हुए अपीलार्थियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की माँग की गई। अपीलार्थियों क्रमशः	
	लगातार 11.08.2023	द्वारा आरोपों से इन्कार करते हुए अपना–अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये एवं सुनवाई का बिना कोई अवसर प्रदान किये आनन–फानन में कार्यालय आदेश ज्ञापांक–241/स्था0 दिनांक–02.03.2023 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से इनकी संविदा रद्द करने का आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि जिला पदाधिकारी का आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थीगण संविदा के आधार पर आई0टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत थे। अपीलार्थियों द्वारा पूर्व में बिना किसी शिकायत के ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। जिसके लिए इन्हें प्रशस्ती–सह–अनुभव प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा दिनांक–24.01.2023 का हस्ताक्षरीय आदेश ज्ञापांक–241 दिनांक–02.03.2023 को निर्गत है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी सं0–01 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप इनसे तनिक भी संबंध नहीं है तथा जाति, आय एवं अन्य प्रमाण पत्र किसी विशिष्टि अवधि का लंबित नहीं था। निरीक्षण तिथि के पूर्व दिनांक–15.01.2023 तक यद्यपि कुल 2210 आवेदन विभिन्न सेवाओं से संबंधित लंबित पाये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के निर्गत होने की 10 दिनों की अवधि निर्धारित है। इसी प्रकार O.B.C/N.C.L/E.W.S आदि प्रमाण पत्रों के लिए 21 दिनों की अवधि निर्धारित है और उक्त सभी आवेदन समय–सीमा अंतर्गत लंबित थे। अपीलार्थियों को नामांतरण एवं भूस्वामी प्रमाण पत्र से संबंधित कोई दायित्व नहीं दिया गया था बल्कि यह कार्य अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी वगैरह के पृथक डोंगल द्वारा निष्पादित किये जाते थे। आर0टी0पी0एस0 से संबंधित पाँच आवेदन जो लंबित बताये जा रहे थे वो सभी निष्पादित थे। जो तकनीकी समस्या के कारण पोर्टल पर परिदर्शित नहीं हो रहे थे। ऑनलाईन सेवा पोर्टल पर कार्य निष्पादन में प्रायः तकनीकी समस्यायें पाई जा रही थी। जिसके सुधार हेतु प्रशासन पदाधिकारी श्री मनोरंजन ने बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसाईटी, पटना द्वारा पत्रांक 1385 दिनांक–24.08.2021 द्वारा वरीय तकनीकी निदेशक पटना से पत्राचार भी किया गया था। प्रश्न गत आदेश आनन–फानन में दिनांक–24.01.2023 को पारित किया गया किन्तु यह ज्ञापांक 241 दिनांक– 02.03.2023 को निर्गत हुआ। उक्त आदेश से अपीलार्थी के जीविकोपार्जन पर काफी प्रभाव पड़ा है। यदि अपीलार्थियों द्वारा कोई गलती मान भी ली जाय तो बिहार लोक शिकायत सेवा अधिकार नियमावली 2011 की कंडिका–8 के अनुसार 500 रूपया से अधिकतम 5000	

Web Copy, Not Official.

		रूपया के अर्थदंड का प्रावधान है। अपीलार्थियों के अपील अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी, पूर्णिया ने पत्रांक 620 दिनांक–02.06.2023 द्वारा बिंदुवार मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रस्तुत क्रमशः	
	लगातार 11.08.2023	अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। उत्तरवादी द्वारा निरीक्षण के दौरान अपीलार्थियों के कार्यों के विरूद्ध कई अनियमिततायें पाये जाने के आलोक में ज्ञापांक 82 दिनांक–18.01.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। अपीलार्थियों द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उत्तरवादी प्राधिकार द्वारा ज्ञापांक–241 दिनांक–02.03.2023 द्वारा इनकी संविदा को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थियों द्वारा इस मामले को पुनः विचारण हेतु इनके समक्ष आवेदन समर्पित किया गया जो विचाराधीन लंबित है। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत अपील को निष्पादित करने की प्रार्थना की गई। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि निरीक्षण के दौरान अपीलार्थियों द्वारा अपने कार्यों में बरती गई अनियमितता के आलोक में इनसे कारण–पृच्छा की माँग की गई जिसे अस्वीकृत करते हुए जिला पदाधिकारी ने संविदा को रद्द करने का दंड़ादेश अधिरोपित किया है। जिला पदाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थियों द्वारा इस मामले के पुनः विचारण हेतु उनके समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है जो विचाराधीन लंबित है। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थियों के पक्षों की सुनवाई करते हुए मामले के गुण–दोष (Merit) पर विचारण पश्चात् मुखर आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल,	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.